रज़िस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 791] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 3, 2011/वैशाख 13, 1933

No. 791] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 3, 2011/VAISAKHA 13, 1933

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2011

का.आ. 976(अ).—भारत ग्रामोद्योग समिति, ग्राम और डाकघर पुरबालियान, मुजफ्फरनगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आयोग कहा गया है) को, 4,17,667.00 रुपये (चार लाख सत्रह हजार छह सौ सड़सठ रुपये केवल) की राशि, का संदाय किया जाना है;

और खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 30 के उप-नियम (2) के अधीन यथाअपेक्षित, उक्त आयोग द्वारा उक्त समिति को तारीख 19 मार्च, 2007 को कारण बताओ सूचना तामिल कराई गई थी जिसमें उक्त समिति को यह निदेश दिया गया था कि उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर आयोग को उक्त राशि (चार लाख सत्रह हजार छह सौ सड़सठ रुपये केवल) का संदाय कर दें, ऐसा करने में असफल रहने पर उक्त आयोग उक्त नियमों के नियम 30 के उप-नियम (2) के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 19ख के अधीन भू-राजस्व के बकाया के रूप में उक्त राशि वसूली करने की कार्यवाही करेगा;

और उक्त समिति ने आयोग को देय उक्त राशि 4,17,667.00 रुपये (चार लाख सत्रह हजार छह सौ सड़सठ रुपये केवल) के संदाय करने के अपने दायित्व का विरोध करते हुए आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अभ्यावेदन किया;

अतः अब, खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 के नियम 30 के उप-नियम (2) के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 19ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत ग्रामोद्योग समिति, ग्राम और डाकघर पुरबालियान, मुजफ्फरनगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग की देयताओं के संदाय के प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए एक व्यक्ति अर्थात् श्री पी. एस. वर्मा, अवर सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011, वाले एक अधिकरण का गठन करती है।

2. यह अधिकरण, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन मास के भीतर प्रस्तुत करेगा।

3. उक्त अधिकरण का मुख्यालय, नई दिल्ली होगा।

[फा. सं सी-18019/1/2011-केवीआई-II]

शेष कुमार पुलिपाका, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2011

S.O. 976(E).—Whereas, a sum of Rs. 4,17,667.00 (rupees four lakh and seventeen thousand six hundred sixty seven only) is payable by the Bharat Gramodyog Samiti, Vill. and P.O. Purbalian, Muzaffarnagar, Meerut, Uttar Pradesh to the Khadi and Village Industries Commission (hereinafter referred to as the said Commission);

And whereas, as required under sub-rule (2) of rule 30 of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006 (hereinafter referred to as the said rules), the

said Commission caused notice dated the 19th March, 2007 served on the said Samiti directing them to pay the said sum of rupees (four lakh and seventeen thousand six hundred sixty seven only) to the said Commission within a period of thirty days from the date of receipt of the said notice failing which the said Commission shall proceed to recover the same as arrears of land revenue under Section 19B of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956) read with sub-rule (2) of rule 30 of the said rules;

And whereas, the said Samiti has disputed its liability to pay the said sum of Rs. 4,17,667.00 (rupees four lakh and seventeen thousand six hundred sixty seven only) to the said Commission, represented to the Chief Executive Officer of the Commission.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 19B of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 read with sub-rule (2) of the rule 30 of the Khadi and Village Industries Commission, Rules, 2006, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of one person, namely, Shri P. S. Verma, Under Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Udyog Bhavan, New Delhi-110011, to decide the question on the payment of dues by Bharat Gramodyog Samiti, Vill. and P.O. Purbalian, Muzaffarnagar, Meerut, Uttar Pradesh to the Khadi and Village Industries Commission.

2. The tribunal shall submit its report to the Central Government with in a period of three months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The headquarters of the said Tribunal shall be at New Delhi.

[F. No. C-18019/1/2011-KVI-II]

SESH KUMAR PULIPAKA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.